


प्रतिबंध: 1. सबजने परमिट फार्म के अंकित शर्तों का पालन पक्ष/आवेदक को करना होगा किसी भी प्रकार का पालन/उल्लंघन किए जाने की क्षा से त्रान्चिन स्वतः निरस्त माना जायेगा।  
 2. कर्तव्य - 01 से 28 तक


NO-66/33/अवन/आन लाइन/19-20  
 दिनांक - 28/5/10

मानचित्र की स्वीकृति दिनांक से पाँच साल तक मान्य होगी।

नक्शा अरबन एण्ड सीलिंग एक्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो स्वीकृति अमान्य होगी येवन्त सबजेक्ट टू दि लिमिटेशन इन एण्ड सीलिंग एक्ट।  
 3050 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1993 की धारा 17 के अर्न्तगत स्वीकृति प्रदान की जाती है।




**प्रतिबंध :-**  
 1. आवेदक को अपनी लागत पर आन्तरिक विकास कार्य करना होगा। आन्तरिक विकास कार्य की मारपटी के रूप में निम्न भूखण्ड प्राधिकरण के पक्ष में बंधक होगा।  
 भूखण्ड संख्या क्षेत्रफल  
 17 711.06 वर्गमी०  
 2. स्थल पर कवर्ड स्टार्म वाटर ड्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा। भविष्य में सफाई/मरम्मत आदि के समय सस्ता प्रदान करना होगा।  
 3. नियमानुसार बुझारोपण एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान करना होगा।  
 4. स्थल पर दक्षिण दिशा की ओर इम्पूवमेंट ट्रस्ट की विद्यमान 15 फिट चौड़ी सड़क की ओर किसी भी भूखण्ड का विकास नहीं होगा। भविष्य में यदि कोई देयता बनती है तो पक्ष द्वारा देय होगी।  
 5. एकल आवासीय भूखण्डों के पृथक-पृथक मवन मानचित्र स्वीकृत कराने होंगे, जिसमें प्रति भूखण्ड 200.00 वर्गमी० के भूखण्ड पर 01 इकाई, 200-300 वर्गमी० पर 02 इकाई, 300-500 वर्गमी० पर 02 इकाई तथा 500-1000 वर्गमी० पर 05 इकाई अनुमत्य की जायेगी।  
 6. आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार केसको की शर्तों के अनुरूप विद्युतीकरण का कार्य करना होगा तथा पूर्णता प्राप्त करने से पूर्व अनापलित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करनी होगी।  
 7. आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार नगर भूमि सीमा रोपण विभाग (सीलिंग) के सम्बन्ध में परमिट फार्म पर अंकित शर्त का पालन अनिवार्य होगा।  
 8. अन्य प्रतिबंध/शर्त परमिट फार्म पर अंकित की गयी है, जिनका पालन करना होगा अन्यथा की स्थिति में मानचित्र पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः अमान्य होगी।



SITE PLAN




KEY PLAN



INDEX.

- EXISTING ROAD SHOWN - 90%
- SEWER DRAIN AND RAIN WATER PIPELINE (EXISTING) SHOWN - 100%
- GREEN AREA PARK AND HARVESTING PIT INCOMPLETE.
- MORTGAGED PLOT NO.17 AREA - 711.06 SQ. M.
- WATER LINE WORK INCOMPLETE.



3245.45 sq.m.  
 (LAND FOR GROUP HOUSING PROPOSAL)

**AREA STATEMENT**

TOTAL PLOT AREA	=12399 Sq.m.
ROAD WIDENING AREA (LOP)	=1047.26 Sq.m.
ROAD WIDENING AREA (GH)	=368.08 Sq.m.
NET PLOT AREA	=10983.66 Sq.m.
LAND FOR GROUP HOUSING PROPOSAL	=3245.45 Sq.m.
LAYOUT AREA	=8106.29 Sq.m.
ROAD AREA	=1308.39 Sq.m.
AREA UNDER PLOTS	=5982.99 Sq.m.
GREEN AREA	=814.91 Sq.m.

**AREA STATEMENT**

PLOT NO.	AREA IN SQ.M.
1	290.45
2	185.25
3	287.74
4	287.74
5	210.96
6	298.31
9	620.15
10	193.03
11	193.41
12	190.64
14	460.09
15	295.12
16	237.93
17	711.06
18	237.77
19	207.29
20	278.67
21	278.67
22	183.63
23	173.83
24	161.25
TOTAL	5982.99

NO. OF TREES = 67 Nos.

**PROJECT:**  
 SUBDIVISION PLAN,  
 16/14, CIVIL LINES, KANPUR

**OWNED BY:**  
 M/S ARA INDIA LLP  
 51/91 NAYA GANJ, KANPUR

**DRG TITLE:**  
 SUBDIVISION PLAN  
 SHEET NO. -01  
 TOTAL SHEET-01  
 ALL DIMENSIONS ARE IN METERS  
 SCALE- 1:500

**ARCHITECTS -**  
 M/S Design Incorporated  
 ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS  
 8/220 ANAND ESHAY ARYA NAGAR, KANPUR (U.P.)  
 Phone: 0512-3062753

OWNERS SIGN. ARCHITECT'S SIGN.

*Prasoon*  
**PRASOON JALOTA**  
 (Architect)  
 M.Arch (University Sheffield)  
 R.I.B.A (London), M.C.A.  
 Reg. No. CA/2006/39210